

श्रम एवं जयते

श्रम विभाग, उत्तराखण्ड

श्रमायुक्त - संगठन

मैनुअल - 3

श्रमायुक्त - संगठन में विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है ।

Scanned with OKEN Scanner

मैनुअल– 3

1– संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया एवं स्तर– 01

2– विधिक विषयों पर– 02–04

3– कारखाना/ब्वॉयलर प्रभाग स्तर पर– 05–06

Scanned with OKEN Scanner

1. निर्णय लेने की प्रक्रिया

- प्रशासकीय एवं वित्तीय विषयों पर -लोवर मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं, यूसंगत सेवा नियमावलियों, मैनुअल ऑफ गवर्नमेन्ट आर्डर्स (M.G.O.) तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों में विहित व्यवस्थानुसार निर्णय लिया जाता है।
- विधिक विषयों पर-श्रम अधिनियमों एवं तत्सम्बन्धी नियमावलियों तथा अधिसूचनाओं में विहित व्यवस्थानुसार निर्णय लिया जाता है।

2. लिये गये निर्णय जनता तक पहुँचाने हेतु व्यवस्था- पत्र व्यवहार एवं आवश्यकतानुसार कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शन द्वारा।

3. निर्णय लेने के स्तर-

- प्रशासकीय एवं वित्तीय विषयों पर -(पत्रावली के परिचालन, संस्तुति एवं निर्णय लेने की व्यवस्था में शामिल अधिकारी का उल्लेख करते हुए)
- श्रमायुक्त के कार्यालय स्तर पर - सम्बन्धित सहायक द्वारा पत्रावली के प्रस्तुतीकरण, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा आख्या, सहायक श्रमायुक्त तथा उप श्रमायुक्त एवं अपर श्रमायुक्त (यथास्थिति एवं आवश्यकतानुसार) द्वारा संस्तुति उपरांत श्रमायुक्त द्वारा निर्णय लिया जाता है। कारखाना एवं ब्वायलर प्रभाग के सम्बन्ध में सम्बन्धित सहायक द्वारा पत्रावली प्रस्तुतीकरण, सहायक निदेशक एवं उप निदेशक कारखाना एवं ब्वायलर की आख्या/संस्तुति उपरांत श्रमायुक्त द्वारा कार्यालय एवं विभागाध्यक्ष के रूप में निर्णय लिया जाता है।
- क्षेत्रीय अपर श्रमायुक्त कार्यालय स्तर पर- सम्बन्धित सहायक द्वारा पत्रावली के प्रस्तुतीकरण, मुख्य सहायक/श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा आख्या (यथास्थिति अनुसार), सहायक श्रमायुक्त तथा उप श्रमायुक्त द्वारा संस्तुति उपरांत अपर श्रमायुक्त द्वारा निर्णय लिया जाता है।
- क्षेत्रीय उप श्रमायुक्त के कार्यालय स्तर पर-सम्बन्धित सहायक द्वारा पत्रावली का प्रस्तुतीकरण, मुख्य सहायक, प्रशासनिक अधिकारी/श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा आख्या (यथास्थिति अनुसार), सहायक श्रमायुक्त द्वारा संस्तुति उपरांत उप श्रमायुक्त द्वारा निर्णय लिया जाता है।
- उप निदेशक कारखाना एवं ब्वायलर के कार्यालय स्तर पर-सम्बन्धित सहायक द्वारा पत्रावली का प्रस्तुतीकरण, सहायक निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर की आख्या / संस्तुति उपरांत , उप निदेशक कारखाना एवं ब्वायलर द्वारा निर्णय लिया जाता है।
- सहायक श्रमायुक्त के कार्यालय स्तर पर-सम्बन्धित सहायक द्वारा पत्रावली का प्रस्तुतीकरण, श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा आख्या/संस्तुति उपरांत , सहायक श्रमायुक्त द्वारा निर्णय लिया जाता है।
- सहायक निदेशक कारखाना एवं ब्वायलर के कार्यालय स्तर पर - सम्बन्धित सहायक द्वारा पत्रावली के प्रस्तुतीकरण एवं आख्या उपरांत सहायक निदेशक कारखाना एवं ब्वायलर द्वारा निर्णय लिया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanne

Scanned with OKEN Scanner

विधिक विषयों पर–

क्र0सं0/अधिनियम का नाम	विषय (जिसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है)	दिशा निर्देश (यदि हों तो)	निर्णय लेने की प्रक्रिया	निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पद नाम	निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	निर्णय के विरूद्ध कहां और कैसे अपील करें?
1	2	3	4	5	6	7
1. उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) अधिनियम, 2107 सपठित नियमावली, 2022	1. पंजीयन 2. उपशमन	अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार –तदैव–	अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार	श्रम प्रवर्तन अधिकारी सहायक/उप श्रमायुक्त	स्तम्भ 5 में उल्लिखित अधिकारी का कार्यालय –तदैव–	प्राविधान नहीं है। –तदैव–
	1. उपशमन 2. निर्देशवाद	–तदैव– –तदैव–	–तदैव– –तदैव–	सहायक/उप श्रमायुक्त –तदैव–	–तदैव– –तदैव–	अपीलीय अधिकारी "
2. वेतन संहिता, 2019 में समाहित (Code on Wages, 2019)	1. समय विस्तारण (बोनस के संदर्भ में)	–तदैव–	–तदैव–	–	–तदैव–	प्राविधान नहीं है।
3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)	1. दावा (आनुतोषिक भुगतान के संदर्भ में)	–तदैव–	–तदैव–	–	–तदैव–	श्रमायुक्त/अपर श्रमायुक्त
4. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)	1. दावा (मातृका हितलाभ के संदर्भ में)	–तदैव–	–तदैव–	निरीक्षक	–तदैव–	उप श्रमायुक्त

Scanned with OKEN Scanner

5. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियाँ संहिता, 2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020)	1. पंजीयन	–तदैव–	–तदैव–	–	–तदैव–	शासन
	2. लाईसेंस	–तदैव–	–तदैव–	–	–तदैव–	शासन
	1. पंजीयन	–तदैव–	–तदैव–	–	–तदैव–	प्रावधान नहीं है।
	2. कार्यावधि निर्धारण	–तदैव–	–तदैव–	–	–तदैव–	–तदैव–
	3. प्राभियोजन दायर करने की स्वीकृति	–तदैव–	–तदैव–	–	–तदैव–	–तदैव–
	दावा	–तदैव–	–तदैव–	–	–तदैव–	श्रमायुक्त
	1. पंजीयन	–तदैव–	–तदैव–	–	–तदैव–	प्राविधान नहीं है।
	1. पंजीयन	–तदैव–	–तदैव–	–	–तदैव–	–तदैव–
6. औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (Industrial relations Code, 2020)	1. प्रमाणीकरण	–तदैव–	–तदैव–	अपर/उप श्रमायुक्त	–तदैव–	औद्योगिक न्यायाधिकरण
	1. धारा–2 Q के अंतर्गत विवाद	–तदैव–	–तदैव–	–	–तदैव–	कोई प्रावधान नहीं है।
	2. धारा–59 के अंतर्गत वसूली	–तदैव–	–तदैव–	अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त	–तदैव–	–तदैव–

Scanned with OKEN Scanner

	पंजीयन तथा पंजीयन का निरस्तीकरण	–तदैव–	–तदैव–	रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स	–तदैव–	औद्योगिक न्यायाधिकरण

Scanned with OKEN Scanner

कारखाना/ब्वायलर प्रभाग

निर्णय लेने की प्रक्रिया

1- किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये श्रम विभाग के कारखाना/ब्वॉयलर अनुभाग में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है (विभागीय-मैनुअल, बिजनेस मैनुअल के नियम अथवा नियमावली, कोई अन्य नियम)		कारखाना व ब्वायलर प्रभाग में प्रश्नगत विषय पर निर्णय लेने के लिये लेबर मैनुअल कारखाना अधिनियम, 1948 उत्तरांचल कारखाना नियमावली, श्रम कल्याण अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी नियमावली, औद्योगिक वृहत्त दुर्घटना के परिसंकट का नियंत्रण नियमावली, भारतीय ब्वायलर अधिनियम, 1923, ब्वायलर्स नियमावली, इकोनोमाईजर नियमावली ब्वायलर अटेण्डेंट नियमावली, ब्वायलर आपरेशन इन्जीनियर्स नियमावली, इण्डियन ब्वायलर्स रेगुलेशन 1950 के अन्तर्गत देय प्रतिधानों के अनुसार निर्णय लिया जाता है।
2- किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये नियम व प्रक्रिया क्या है? निर्णय लेने के लिये किन-किन स्तरों पर विचार किया जाता है।		विशेष प्रशासनिक विषय पर निर्णय लेने के लिये अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पत्रावली प्रस्तुत करने पर श्रमायुक्त/शासन स्तर तक से दिशा निर्देश प्राप्त किये जाते हैं। कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत विशेष निर्णय के सम्बन्ध में भारत सरकार के अधीन कार्यरत डायरेक्टरेट जनरल, फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एण्ड लेबर इन्सटीट्यूट तथा ब्वायलर सम्बन्धी विशेष निर्णय पर भारत सरकार के केन्द्रीय ब्वायलर बोर्ड के दिशा निर्देश, मार्गदर्शन व अन्तिम निर्णय देता है।
3- लिये गये निर्णय को जनता तक पहुँचाने की क्या व्यवस्था है।		लिये गये निर्णय को कार्यालय से पंजीकृत/साधारण डाक के द्वारा सम्बन्धित को सूचित किया जाता है।
4- विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है।		श्रमायुक्त स्तर पर निर्णय लेने की स्थिति में मुख्य निरीक्षक कारखाना/ब्वायलर तथा उप निदेशक कारखाना/ब्वायलर की संस्तुति पर तथा मुख्य निरीक्षक कारखाना/ब्वायलर स्तर पर निर्णय लेने की स्थिति में उप निदेशक कारखाना/ब्वायलर की संस्तुति पर व उप निदेशक कारखाना/ब्वायलर स्तर पर निर्णय लेने की स्थिति में सहायक निदेशक कारखाना/ब्वायलर कार्यालय अधीक्षक/वरिष्ठ सहायक की संस्तुति पर तथा सहायक निदेशक/कारखाना/ब्वायलर्स द्वारा अपने कार्य सीमा के अन्दर निर्णय सम्बन्धित सहायक की संस्तुति पर निर्णय लेता है।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

5- अन्तिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकृत अधिकारी		1. प्रशासनिक कार्यों में श्रमायुक्त 2. कारखाना अधिनियम/ब्वायलर अधिनियम के अन्तर्गत अन्तिम निर्णय मुख्य निरीक्षक कारखाना/ब्वायलर द्वारा लिया जाता है। 3. 50 कर्मकार से अधिक नियोजन करने वाले कारखानों एवं खतरनाक/अतिखतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों से सम्बन्धित कारखानों के मानचित्रों/स्थायित्व के प्रमाण पत्र तथा समनुज्ञा जारी करना और उनका नवीनीकरण का कार्य उप निदेशक, कारखाना/ब्वायलर द्वारा किया जाता है। 4. 50 कर्मकारों से कम नियोजित करने वाले साधारण कारखानों के मानचित्रों/स्थायित्व प्रमाण पत्र की स्वीकृति तथा समनुज्ञा जारी करना उनका नवीनीकरण के कार्यों पर अन्तिम निर्णय सहायक निदेशक कारखाना/ब्वायलर द्वारा लिया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner